न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–अक्षत कुमार सिंह (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
370/2025

दायर दिनांक
09.07.2025

निर्णय दिनांक
20-08-2025

उनवान

1. श्री छत्रसाल सिंह राजपूत पुत्र श्री बालु सिंह राजपूत निवासी ग्राम कल्याणपुरा, पोस्ट कारोई कलां जिला भीलवाड़ा (राज०) ।

-- प्रार्थी

बनाम

1. श्री बहादुर सिंह राजपूत पुत्र श्री बालु सिंह राजपूत निवासी ग्राम कल्याणपुरा, पोस्ट कारोई कला जिला भीलवाड़ा (राज०)।
2. श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री बालु सिंह राजपूत निवासी ग्राम कल्याणपुरा, पोस्ट कारोई कलां जिला भीलवाड़ा (राज०) हाल निवास कारोई हाउस छोटी पुलिसा आर.के. कोलोनी भीलवाड़ा।
3. श्री राम लाल पुत्र श्री ऊंकार बैरवा निवासी निवासी ग्राम कल्याणपुरा, पोस्ट कारोई कलां जिला भीलवाड़ा (राज०)।
4. श्री श्यामा शर्मा प्रधानाध्यापक रा० प्रा० विद्यालय कल्याणपुरा पोस्ट कारोई कलां जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा (राज०)।

— विपक्षीगण

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री सुरेश चन्द्र सुवालका उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 04 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का कारोईकला भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र कारोई कलां तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 13/1 रकबा 0.8093 हैक्टेयर, आराजी संख्या 92/3 रकबा 0.4426 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकवा 1.2519 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है.। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है।

अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 04 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईस्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। मेंनें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

मेंने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का कारोईकला भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र कारोई कलां तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 13/1 रकबा 0.8093 हैक्टेयर, आराजी संख्या 92/3 रकबा 0.4426 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 1.2519 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000—00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 20-08-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा